



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय

द्वितीय तल, जी.एस. आइ. फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)

फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल.ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्वीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्र.- छग./बलराम./बॉक्साइड/रायपुर/07छ.ग.16003

दिनांक :-27-07-2018

प्रति

श्री के. एन. भंडारी,
नॉमिनेटेड ऑनर,
आदित्य बिड़ला सेंटर, के. अहीरा मार्ग,
वर्ली, मुम्बई (महाराष्ट्र)- 400030
फोन: 022 66525000

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में स्थित आपकी टाटीझारिया बॉक्साइड खदान क्षेत्रफल 1218.762 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 05-07-2018 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री अमित तिवारी, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 45 (5) (c)	While scrutiny of the Annual return 2017-18, It is observed that Ex -Mine price (Rs851.92) is less than cost of production (Rs 854.32).Also,DMF & NMET contribution not mentioned in cost of production,which needs to be corrected.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अंतर्गत (क) खान की समस्त खनन सक्रियाएं बंद की जा सकती है। (ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है। (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतिशुद्ध सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(आर. एन. मिश्र) 27/7/18

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. श्री एम. के.नायक, खान ऐजेंट, हिन्डाल्को इण्डस्ट्रीज लि0, कुसमी तहसील -कुसमी, जिला बलरामपुर - रामानुजगंज (छ.ग.) 497224
4. उप-महानिदेशक सांख्यिकी, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।

(आर. एन. मिश्र)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर